



Neutral Citation No.- 2026: AHC-LKO:21272

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1480 वर्ष 2026

जितेन्द्र चौहान @ आमताज

.....प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ।

.....विपक्षीगण

प्रार्थी के अधिवक्ता

: अजीत कुमार मिश्रा, आलोक कुमार मिश्रा

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 28

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती

1. आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
3. यह जमानत याचिका अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 427/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986, पुलिस स्टेशन- कर्नलगंज, जिला- गोंडा में जमानत की मांग करते हुए दायर की गई है।
4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में प्रार्थी के विरुद्ध चार मामले दर्ज हैं। इन सभी मामलों में प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। जमानत के आदेश जमानत आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे के अनुलग्नक संख्या 3 से 5 के रूप में अभिलेख में मौजूद हैं। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अलावा, प्रार्थी का 9 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनका आज दायर किए गए पूरक हलफनामे के पैरा संख्या 2 में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। जमानत के आदेशों की प्रतियां पूरक हलफनामे के अनुलग्नक संख्या एस.ए.-1 से एस.ए.-4 के रूप में संलग्न हैं। प्रार्थी 08.01.2026 से जेल में है।
5. यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है और प्रार्थी के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की कोई संभावना नहीं है। यदि प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी का 9 मामलों का आपराधिक इतिहास है, हालांकि, वे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
7. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रार्थी 08.01.2026 से जेल में है; उसे गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों में जमानत पर रिहा किया गया है; गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामलों के अलावा, नौ मामलों का आपराधिक इतिहास आज दाखिल किए गए पूरक हलफनामे के पैरा संख्या 2 में विधिवत स्पष्ट किया गया है और जमानत आदेश अनुलग्नक संख्या एस.ए.-1 से एस.ए.-4 के रूप में संलग्न हैं तथा प्रार्थी द्वारा मुकदमे में सहयोग करने का वचन दिया गया है, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं।
8. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।
9. उपर्युक्त मामले में अभियोक्ता जितेंद्र चौहान उर्फ अमताज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

- (i) प्रार्थी मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) प्रार्थी अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।
- (iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iv) प्रार्थी को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (v) प्रार्थी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन पत्र भी दाखिल करेगा कि वह किसी भी मामले में शामिल नहीं होगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) प्रार्थी प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(vii) यदि प्रार्थी मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, तो यदि प्रार्थी ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय बीएनएस की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत याचिका तक ही सीमित हैं और मुकदमे की खूबियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती)

25 मार्च, 2026

आनंद/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।